

Title: Regarding the allegedly provocative statement made by the Chief Minister of Madhya Pradesh with regard to encouraging the Naxalites to fight against the Central Government.

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम पुकारा। मैं जो विषय उठा रहा हूँ वह पूरी तरह से संवैधानिक चुनौती देने वाला मध्य प्रदेश का मामला है। मेरे चुनाव क्षेत्र बालाघाट जिले के बैहर में ऐसा इलाका है जहाँ नक्सलवादियों का गढ़ है। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले तीन वॉर्षों में करीब 20 बार नक्सलवाद के खिलाफ अपनी बात उठाई है। सर, मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैहर की सभा में जो भाषण किया है वह सदन में विचार करने वाला है।

उन्होंने भाषण करते हुए यह बात कही। उसकी सीडी और वीडियो कैसेट मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि इस बात के लिए मैं आज चुप रहूँगा। इस सत्र में इस बात का फैसला होना चाहिए। मुख्य मंत्री ने आम सभा में इस बात को कहा कि आप मुझसे मत लड़िए। आप जो चाहते थे, मैं करता था। अगर लड़ना ही है, तो केन्द्रीय सरकार से लड़िए। पीडब्ल्यूजी एक प्रतिबंधित संगठन है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आम सभा में खड़े होकर इस बात को कहें कि आप हम से मत लड़िए, केन्द्रीय सरकार से लड़िए।

दूसरी आपत्तिजनक बात उन्होंने फोर्स के बारे में कही और कहा कि चार महीने तक आप वारदात न करें। बड़े मजाकिया लहजे में उन्होंने इस बात को कहा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस सीडी को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे दीजिए। इस संबंध में मैंने गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय को भी लिखा है और सीडी उपलब्ध कराई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पोट्टा की परिभाषा क्या है। मध्य प्रदेश में संवैधानिक स्तर पर काम करने वाला प्रमुख सीधे केन्द्रीय सरकार के खिलाफ एक नक्सलवादी ग्रुप को प्रवोक करे, तो उस पर पोट्टा लगना चाहिए। इस सदन में इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने का हक है। अगर वह इस सीमा तक जाता है, तो केन्द्रीय सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस सदन को उस स्थिति पर विचार करना चाहिए कि किसी भी राज्य में मुख्य मंत्री के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस विषय को शून्यकाल तक ही सीमित न करें। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं उस सीडी को सदन के सभा पटल पर रख सकूँ और सदन उसको देखकर फैसला कर सके।